न्यायालय राजस्व अपील प्राधिकारी, बीकानेर
पीठासीन अधिकारी–उम्मेद सिंह रतनू, आर.ए.एस.

अपील संख्या 146/24 निर्णय दिनांकः 13-11-2025
(जीसीएमएस संख्या 2024/125)

1. नरेन्द्र कुमार पुत्र कन्हैयालाल किराडू जाति ब्राहम्ण निवासी साले की होली, बीकानेर तहसील व जिला बीकानेर।

–अपीलांट्

–बनाम–

1. स्टेट ऑफ राजस्थान, जरिये तहसीलदार, बज्जू।

–रेस्पोडेन्ट्

अपील विरूद्व आज्ञा दिनांक 28–06–1991
सहायक आयुक्त उपनिवेशन, कोलायत

उपस्थितिः–
1. श्री रामचन्द्र सिंह भाटी, अभिभाषक अपीलांट्
2. श्री मिलापचन्द, राजकीय अभिभाषक

–निर्णय–

1. अपीलांट ने यह अपील सहायक आयुक्त उपनिवेशन, कोलायत के आदेश दिनांक 28–06–1991 जिसके द्वारा अपीलांट का आवंटन प्रार्थना पत्र बिना सुने एकतरफा तौर पर सबूतों के अभाव में खारिज किया गया है, के विरूद्व इस न्यायालय में राजस्थान उपनिवेशन (इगानप योजना में सरकारी कृषि भूमि आवंटन व विक्रय नियम) 1975 के नियम 23 के अन्तर्गत प्रस्तुत की है।

2. विद्वान अभिभाषक अपीलांट की बहस सुनी गई।

3. विद्वान अभिभाषक अपीलांट् ने अपनी बहस में बताया कि अपीलांट द्वारा तहसील कोलायत में बतौर भूमिहीन आवंटन हेतु प्रार्थना पत्र प्रस्तुत किया गया। उक्त आवेदन पत्र के तमाम सबूतों के साथ तमाम दस्तावेजान प्रस्तुत किये गये थे। परन्तु अदालत मातहत द्वारा .

राजस्व अपील अधिकारी
बीकानेर

अपीलांट को बिना सुनवाई एवं सबूत का अवसर दिये अपीलांट का भूमिहिन आवेदन पत्र निरस्त कर दिया। अपीलांट ने श्रीमान सहायक आयुक्त उपनिवेशन एवं राजस्व अपील प्राधिकारी बीकानेर के समक्ष अपील पेश की जो अपील संख्या 511/88 अनुवानी नरेन्द्र कुमार बनाम राजस्थान सरकार निर्णय दिनांक 17–07–1989 को स्वीकार कर इस निर्देशों के साथ रिमाण्ड की गई कि अपीलांट को सबूत पेश काने का अवसर देकर उसके पात्रता के बारे में जांच करने के बाद निर्णय पारित किया जावे। अपीलांट के रिमाण्ड प्रकरण में श्रीमान् सहायक आयुक्त उपनिवेशन, कोलायत ने कोई फोटो फार्म जारी नहीं किया और अपीलय न्यायालय के निर्देशों का सरासर उल्लघंन करते हुवे दिनांक 28–06–1991 को अपीलांट का भूमिहीन प्रार्थना पत्र आवेदन निरस्त कर दिया। जैर अपील आदेश पारित करने से पूर्व अपीलांट को किसी प्रकार नोटिस नहीं दिया गया यदि नोटिस दिया गया होता तो अपीलांट स्वयं उपस्थित हो जाता अदालत मातहत ने अपीलीय न्यायालय के आदेश को दरकिनार करते हुए अपीलाधीन आदेश जारी कर दिया।

अधीनस्थ न्यायालय ने मनमर्जी से दिनांक 28–06–1991 को आदेष दिया कि प्रार्थी स्वयं उपस्थित, 2 वर्ष से खेती करता हूँ, किसनासर में एक खेत काश्त कारता हूँ, सेरेरा में कभी काश्त नहीं किया भूराराम को नहीं जानता, कुतर बेचने का धंधा बताया अतः प्रार्थना पत्र सही प्रतीत नहीं होता, खारिज किया जाता है। यदि अपीलांट को सुनवाई का अवसर दिया जाता वह स्वयं उपस्थित आता दस्तावेज, सबूत पेश किये जाते बयान प्रथक से लिए जाते भूराराम के खेत काश्त करने का शपथ पत्र जो शामिल मिसल है अपीलांट स्वयं ने पेश किया है जिससे इंकार करने को कोई न्यायोचित कारण ही नहीं है जहां तक कुतर बेचने के धन्धे का प्रश्न है तो एक काश्तकार जब काश्त करता है एक काश्तकार अपनी फसल विक्रय करता है तो अन्य वस्तुए, कुतर, पाला, घास आदि विक्रय करता ही है। यदि अदालत मातहत को प्रार्थना पत्र सही प्रतीत नहीं हो रहा था तो दोबारा फोटो फार्म जारी कर पूर्ण जांच करवाई जाने का प्रावधान था ना कि अपनी मनमर्जी से ही अपीलांट का प्रार्थना पत्र निरस्त करना। अदालत मातहत द्वारा तमाम तथ्यों की अनदेखी करते हुए मात्र अपीलांट का प्रार्थना पत्र खारिज करने के उद्वेश्य मात्र से आदेश जैर अपील पारित किया गया है।

राजस्व अपील अधिकारी
बीकानेर

अभिभाषक अपीलांट ने मियांद पर बताया कि अपीलांट ने श्रीमान् सहायक आयुक्त उपनिवेशन कोलायत के समक्ष प्रस्तुत होकर अपनी भूमिहीन आवंटन पत्रावली पर की जा रही कार्यवाह बाबत् पूछताछ करता रहा मगर हर बार उसे कहा गया कि अभी कोई कार्यवाही नहीं की जा रही है जब भी कार्यवाही की जायेगी तब आपकों नोटिस दिया जायेगा मगर एक लम्बे समय तक अपीलांट को किसी प्रकार का कोई नोटिस प्राप्त नहीं होने पर तथा उपनिवेशन विभाग राजस्व विभाग में हस्तांन्तरण के उपरांत अपीलांट श्रीमान् उपखण्ड अधिकारी बज्जू के समक्ष हाजिर होकर अपने भूमिहीन आवंटन आवेदन के बारे की जा रही कार्यवाही के बारे में पूछताछ की तो दिनांक 20–02–2024 को पत्रावली मिली जिस पर अपीलांट ने उसी दिन नकल प्राप्त करने हेतु आवेदन कर दिया गया नकल बाद तैयारी दिनांक 29–02–2024 को जारी की गई अपीलांट ने जानबूझ कर कोई गलती अपील पेश नहीं करने में की है। अपील के साथ धारा 5 मियांद अधिनियम का प्रार्थना पत्र मय शपथ पत्र पेश है। अतः अपील अन्दर मियांद घोषित की जावे। अभिभाषक अपीलांट ने अपने कथनों के समर्थन में आरएलडब्ल्यू 2005 (2) आरजे पेज 596 का न्यायिक दृष्टांत पेश किया।

न्यायालय राजस्व अपील अधिकारी बीकानेर

4. विद्वान राजकीय अभिभाषक ने कथन किया कि अपीलांट ने अपील काफी विलम्ब से पेश की है। इसलिए अपील मिंयाद बाहर है। मियांद प्रार्थना पत्र में मियांद कण्डोन करने का कोई संतोषजनक कारण अंकित नहीं किया है। अपीलांट का आवंटन सबूतों के अभाव में खारिज किया जा चुका है। अब अपीलांट किसी प्रकार का अनुतोष प्राप्त करने का अधिकारी नहीं है। अतः अपील खारिज फरमाई जावे।

5. विद्वान अभिभाषक उभय पक्ष की बहस पर मनन किया गया एवं पत्रावली का विधि के परिप्रेक्ष्य में अध्ययन किया गया।

6. प्रकरण में गुणावगुण पर निर्धारण से पूर्व मियाद के बिन्दु को अभिनिर्धारित किया जाना उचित पाते है। जहाँ तक मियांद का प्रश्न है, अपील मियाद अवधि की समाप्ति के पश्चात पेश की गई है। अपील के साथ धारा 5 मियांद अधिनियम का प्रार्थना पत्र मय शपथ पत्र प्रस्तुत किया गया है। जिसके खण्डन में रेस्पोडेन्ट द्वारा कोई काउण्टर शपथ पत्र पेश नहीं किया गया है। अपीलाधीन आदेश अपीलांट को बिना सुनवाई एकपक्षीय रूप से पारित किया गया है। न्यायिक दृष्टांत

राजस्व अपील अधिकारी
बीकानेर

आरएलडब्ल्यू 2005 (2) आरजे पेज 596 में भी अभिधारित किया है कि **"Period of limitation does not run against non-petitioner being ex-parte order."** अतः प्रकरण का निस्तारण मियाद की बजाय गुणावगुणप पर किया जाना श्रेयस्कर है। अतः न्यायहित में विलम्ब कंडोन कर अपील अन्दर मियांद घोषित की जाती है।

प्रकरण में जहॉ तक गुणावगुण का प्रश्न है, अधीनस्थ न्यायालय की पत्रावली के अवलोकन से यह प्रकट होता है कि अपीलांट नरेन्द्र कुमार द्वारा अधीनस्थ न्यायालय के समक्ष बतौर भूमिहीन श्रेणी में भूमि आवंटन करवाने हेतु प्रार्थना पत्र प्रस्तुत किया गया था। उक्त आवेदन के साथ प्रार्थी द्वारा समस्त सबूत पेश किये गये थे। अपीलांट की उक्त पत्रावली दिनांक 25–11–1987 को आवंटन सलाहकार समिति के समक्ष पेश हुई। आवंटन सलाहाकार समिति द्वारा प्रार्थी का आवेदन पत्र इस आधार पर खारिज किया गया कि प्रार्थी नरेन्द्र कुमार द्वारा सबूत प्रस्तुत नही किये गये है।

अपीलांट द्वारा उक्त आदेश दिनांक 25–11–1987 के विरूद्ध न्यायालय अतिरिक्त आयुक्त उपनिवेशन एवं राजस्व अपील अधिकारी, बीकानेर में अपील पेश की जिस पर माननीय न्यायालय द्वारा दिनांक 17–07–1989 को अपीलांट की अपील स्वीकार करते हुए प्रकरण को पुनः रिमाण्ड कर अपीलांट को सबूत पेश करने का अवसर प्रदान किया गया।

उक्त रिमाण्ड आदेश दिनांक दिनांक 17–07–1989 की पालना में अपीलांट की पत्रावली पुनः दर्ज रजिस्टर की गई। तथा अधीनस्थ न्यायालय द्वारा अपनी आदेशिका दिनांक 28–06–1991 के द्वारा अपीलांट का आवेदन इस आधार पर खारिज किया गया कि अपीलांट द्वारा अपना पेशा कुतर बेचने का कार्य बताया है। अतः प्रार्थना पत्र सही प्रतीत नही होता है। इस आधार पर खारिज किया जाता है।

प्रकरण में अपीलांट द्वारा प्रस्तुत न्यायिक **दृष्टांत आरआरडी 2001 पेज 133** में स्पष्ट अभिलिखित है कि –

(A) Raj. Colonisation (Allotment and Sale of Govt. Land in Indira Gandhi Canal Colony Area) Rules, 1975, Rules 13 & 22 Allotting Authority (Dy. Commr.Colonisation) personally enquired from the villagers and after

राजस्व अपील अधिकारी
बीकानेर

making detailed enquiry came to conclusion that petitioners were landless persons and bonafide agriculturists and thus allotted the land to them under Rules Later on Patwari and Tehsildar, without detailed enquiry, submitted report that petitioners are not agriculturists but businessmen and on the basis of this report, allotment cancelled Whether report of allotting authority would supersede the report of Tehsildar Held, yes Report of allotting authority should be preferred - Thus allotments wrongly cancelled - Further held that even if petitioners were earning their livelihood by running small shops on small piece of land without there being licence under shops & Commercial Establishmens Act and Sales Tax numbers, etc, they cannot be said to be businessmen.

(B) Raj. Colonisation (Allotment & Sale of Govt. Land in Indira Gandhi Canal Colony Area) Rules, 1975, Rule 22 Cancellation of allotment - Notice for Once notice were cancelled by the authority (Commissioner) then it is not open to the authority to issue notice again on the same subject on the application of Vigilance Officer - Bar of res judicata will certainly apply in such cases - (Res judicata - Principles when applicable).

(C) Allotment of land Petitioners are in cultivatory possession of agricultural land since about 8 years It would be travesty of justice if allotment is cancelled now.

प्रस्तुत प्रकरण में अपीलांट द्वारा बतौर भूमिहीन श्रेणी में आवेदन प्रस्तुत किया गय है तथा अपीलांट का धंधा कुतर बैचने का है। उक्त कार्य कृषि आधारित कार्यो की श्रेणी में आता है। अतः उक्त प्रकरण में प्रस्तुत नजीर पूर्णतयः चस्पा होती है।

राजस्व अपील अधिकारी
बीकानेर

7. अतः इस स्थिति में अपीलांट् की अपील आंशिक स्वीकार की जाती है प्रकरण अधीनस्थ न्यायालय उपखण्ड अधिकारी, बज्जू को इस निर्देश के साथ प्रतिप्रेषित किया जाता है कि अपीलांट दो माह के भतीर सद्भाविक कृषक होने का प्रमाण पत्र प्रस्तुत करता है तो अपीलांट के प्रार्थना पत्र पर राज्य सरकार द्वारा समय–समय पर जारी आदेशो व अद्यतन परिपत्रो के आलोक में अपीलांट के प्रार्थना पत्र पर नियमानुसार कार्यवाही की जावे।

8. निर्णय आज दिनांक 13-11-2025 को मेरे द्वारा लिखाया जाकर सरे इजलास सुनाया गया।

(उम्मेद सिंह रतनू)
राजस्व अपील प्राधिकारी
बीकानेर